अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध!

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।

दू0सं0 0135–2746934 2741461, फैक्स– 2741630, 2741462 ईमेलः pccfuk@gmail.com

पत्र संख्या P.O./1269 देहरादून, दिनांक, अप्रैल 10 2018

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, शिवालिक ज़ोन, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल ज़ोन, पौड़ी।
4. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ ज़ोन, नैनीताल।

विषय : **वन भूमि पर अतिक्रमण को चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

वनों पर निरन्तर बढ़ रहे जैविक दबाव के कारण वन भूमि अतिक्रमण के लिये अत्यन्त संवेदनशील है। विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों के आस–पास के वन क्षेत्रों में अतिक्रमण की प्रबल सम्भावनायें हैं। आप सहमत ही होंगे कि वनाधिकारी के रूप में यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम हर दशा में वन भूमि में अतिक्रमण को रोकें! अधोहस्ताक्षरी को जन प्रतिनिधियों/जन सामान्य/'मीडिया' आदि के माध्यम से जो सूचनायें प्राप्त हो रही हैं, उनके अनुसार वन भूमि में अतिक्रमण निरन्तर बढ़ रहा है। कतिपय मामलों में विभागीय कार्मिकों की मिलीभगत का आरोप भी लगाया जाता है। **यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है!**

विभाग के अभिलेखों के अनुसार गत कई वर्षों से वन भूमि में अतिक्रमण के आँकड़ों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है। अतः अपने अधीनस्थ समस्त वन प्रभागों/संरक्षित क्षेत्रों के अन्तर्गत, **वर्तमान स्थिति के अनुसार,** वन भूमि पर अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर उसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये। आपके स्तर पर सूचना का समुचित परीक्षण कर संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये, जिसमें यह भी स्पष्ट किया जाये कि कितना ऐसा अतिक्रमण है, जो पहले से 'रिपोर्टेड' है (जिसके सापेक्ष नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जा रही है) और कितना अतिक्रमण ऐसा है, जो पहली बार सूचित किया जा रहा है (और जिसके सापेक्ष बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ की जानी होगी)? वन भूमि में अतिक्रमण को चिन्हित करने में यथासम्भव **जी.आई.एस.** तकनीक का भी उपयोग किया जाये। अतिक्रमण के चिन्हीकरण के साथ–साथ, साक्ष्यों के आधार पर यह भी यथासम्भव इंगित किया जाये कि अतिक्रमण किस अवधि का है? **किसी भी अतिक्रमण को कदापि छिपाया न जाये।**

आप सहमत ही होंगे कि वन भूमि में अतिक्रमण की व्यापक समस्या का समाधान तभी सम्भव है, जब सर्वप्रथम इसके परिमाण (magnitude) का सही आकलन किया जाये। **ध्यान**

रखा जाये कि वन कर्मियों के बीच में यह धारणा कदापि न बनने पाये कि जो वन कर्मी वन भूमि के अतिक्रमण के सम्बन्ध में सूचना देंगे, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्यवाही **31 जुलाई, 2018** तक पूर्ण कर ली जाये। स्वाभाविक है कि इस तिथि तक सूचित किये गये अतिक्रमण के अतिरिक्त यदि बाद में वन भूमि में कोई अन्य अतिक्रमण पाया गया तो उसकी जवाबदेही सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/निदेशक की होगी।

भवदीय,

10/04/18

(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड।

P.O. 1269

पत्र संख्या / ,**उक्तदिनांकित।**

प्रतिलिपि **मुख्य वन संरक्षक, आई.टी.जी.सी., वन मुख्यालय, देहरादून** को इस आशय से कि कृपया आप भी स्वतन्त्र रूप से अपने स्तर से **जी.आई.एस.** तकनीक के आधार पर प्रदेश में वन भूमि में अतिक्रमण का यथासम्भव आकलन कर अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि उसका परीक्षण 'फील्ड' स्तर से प्राप्त सूचना के सापेक्ष किया जा सके।

प्रतिलिपि **मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं ऑडिट, उत्तराखण्ड** को प्रकरण के प्रभावी अनुश्रवण हेतु।

10/04/18

(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड।